I/55545/2022

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक** 12 **अगस्त, 2022**

विषयः राज्य में उद्यमिता विकास हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर (Rural Bussiness Incubator-RBI) के संचालन/क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना समन्वयक, एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास, उत्तराहाट, देहरादून के पत्रांक–1574/टी0सी0–2/325/आरबीआई/एसपीएमयूआरडी/2021 दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य में ग्राम्य विकास विभाग के अधीन स्थापित रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर के क्रियान्वयन/संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त/गाईडलाईन्स का ड्राफ्ट उपलब्ध कराते हुये, उक्त गाईडलाईन्स निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–827 दिनांक 25 जुलाई, 2020 द्वारा राज्य के सामुदायिक संगठनों/स्वरोजगारियों आदि को तकनीकी जानकारी प्रदान करने, उनकी वर्तमान आजीविका को सुदृढ़ बनाने तथा उनमें उद्यमशीलता विकसित किये जाने के उद्देश्य से राज्य के जनपद पौड़ी एवं अल्मोड़ा में एक–एक रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3– अतः उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन गढ़वाल मण्डल में जनपद पौड़ी के दुगड्डा विकासखण्ड तथा कुमाऊँ मण्डल में जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखण्ड में हब के रूप में स्थापित 'रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर' के क्रियान्वयन/संचालन हेतु इस आदेश के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्त/दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–मार्गदर्शी सिद्धान्त/दिशा–निर्देश।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: [illegible]-2022 19:58:24
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. परियोजना समन्वयक, एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य कार्य
6. कारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य परियोजना निदेशक, आई0एल0एस0पी0/REAP, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, उपासक।
9. निदेशक, कृषि/उद्यान/डेयरी/पर्यटन।
10. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Anand Swaroop
Date: 12-08-2022 13:40:51
(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 16/08/2022 10:53 AM

I/55545/2022

रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर (आर0बी0आई0) के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त/दिशा–निर्देश

1. योजना की पृष्ठभूमि –

आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में यह महसूस किया गया कि राज्य के निवासियों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिये उद्यमिता विकास हेतु नये लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन एवं मौजूदा उद्यमों का scale-up करने हेतु व्यावसायिक सहायता सेवायें प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है ।

इस हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा नई पहल के रूप में राज्य में उद्यमशील पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के उददेश्य से राज्य में दो रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित किये जा रहे है जो कि क्रमशः जनपद पौड़ी के कोटद्वार तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में स्थापित किये जा रहे है।

2. योजना का उद्देश्य–

इस योजना का उद्देश्य राज्य के निवासियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने एवं उद्यम स्थापना हेतु प्रारम्भ से अंत तक उद्यमियों को सहयोग प्रदान करना है। इन्क्यूबेटर्स के विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत है–

- ऐसे क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और व्यवसाय विकास को बढावा देना जो कि इच्छुक इन्क्यूबेटीज को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान कर सके।
- पलायन रोकने हेतु राज्य के निवासियों हेतु आजीविका के अवसर पैदा करना।
- कृषि तथा गैर कृषि आधारित उद्यम संबंधी पारिस्थितिक तंत्र को सुगम बनाना ।
- उद्यम स्थापना में स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु अभिनव समाधान।

3. लक्षित लाभार्थी एवं लक्ष्य–

रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से उत्तराखंड के इच्छुक एवं पात्र लाभार्थियों को सेवाये प्रदान की जायेंगी।

3.1 लक्षित लाभार्थियो की श्रेणिया–

इन्क्यूबेटर के तहत आच्छादित होने वाले लाभार्थियों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है–

3.1.1 सीड एंटरप्रेन्योर (seed Entrepreneur)–ऐसे व्यक्ति जो अभी व्यावसायिक जीवन चक्र के प्रारंभिक चरण में है तथा उनका व्यवसाय केवल एक विचार /अवधारणा सोच भर है।

3.1.2 प्रारम्भिक चरण एंटरप्रेन्योर (Early Stage Entrepreneur)–ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोई भी उद्यम स्थापना हेतु पंजीकरण करते हुये उत्पादन शुरू कर दिया है तथा ग्राहकों को सेवा देनी प्रारम्भ कर दी है।

3.1.3 विकास चरण के उद्यमी (Growth stage Entrepreneur)–ऐसे उद्यमी जो कुछ समय से व्यवसाय में है तथा उनके पास ऐसे उत्पाद है जिनका बाजार में विपणन हेतु मांग स्थापित हो चुकी हैं, तथा उत्पाद के बड़े पैमाने पर परिचालन की तलाश कर रहे है अथवा अपने उत्पाद के विपणन हेतु बडे बाजारों तक पहुंच बनाने और बाजार में मौजूदा अथवा नये प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा की योजना बना रहे है।

3.1.4 एस0एच0जी0/पी0जी0 आदि सामुदायिक संगठन– राज्य में विभिन्न सामुदायिक संगठन यथा एस0एच0जी0/पी0जी0/वी0पी0जी0 आदि तथा उनके उच्च स्तरीय परिसंघ अथवा उनके सदस्यों के ऐसे व्यक्तिगत उद्यम जो विधिक रूप से पंजीकृत हो सकते है अथवा नही भी हो सकते है किन्तु सूक्ष्म उद्यम संचालित कर सकते है, भी इस योजना से आच्छादित किये जा सकेंगे।

3.1.5 एग्रीगेटर/प्लेटफार्म (Aggregators/Platform)–राज्य के अन्दर अथवा बाहर के ऐसे उद्यमी जो राज्य भर के उद्यमियों को उनके कारोबार का विस्तार करने के लिये एग्रीगेटर अथवा प्लेटफार्म (डिजिटल अथवा भौतिक रूप से उपलब्ध प्लेटफार्म) उपलब्ध कराने का अवसर राज्य के इन इन्क्यूबेटीज/ उद्यमियों को प्रदान कर सकते है।

3.2 कुल लक्ष्य आच्छादन

इन इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से प्रारम्भिक चरण में राज्यभर से न्यूनतम 500 अभ्यर्थियों को दो वर्षो में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

4. इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवायें–

रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से निम्नलिखित सेवाये प्रदान की जायेगी–

4.1 **राज्य में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना–** इन्क्यूबेटर्स की सबसे अहम भूमिका, राज्य केलोगों के अन्दर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है, ताकि उपलब्ध अवसरों की संभावना का आंकलन करते हुये पात्र व्यक्तियो तक पहुंचने, सूक्ष्म उद्यम/स्वरोजगार इकाई स्थापना में उनकी असफलताओं से सीख एवं उन असफलताओं पर जीत हासिल करने में मदद मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रयास हेतु एन0आर0एल0एम0 के माध्यम से प्रत्येक विकासखंड/कलस्टर स्तर/ग्राम स्तर पर अजीविका विकास संबंधी किसी प्रकार के कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं के दौरान इन्क्यूबेटर से संबंधित जानकारी/जागरूकता तथा इस हेतु उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने संबंधी घटक भी एन0आर0एल0एम0 क्षमता विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 16/08/2022 10:53 AM

I/55545/2022

भाग होगा। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों, आई0टी0आई0 पालीटेक्निक आदि संस्थानों में इन्क्यूबेटर्स द्वारा ई0डी0पी कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा, ताकि राज्य भर से इस योजना हेतु संभावित लक्ष्यों को चिन्हांकित किया जा सके एवं इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को उद्यमिता विकास के माध्यम से लाभान्वित किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में इस हेतु विभिन्न विभागीय योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस किया जायेगा।

4.2 **आइडिऐशन (Ideation) –** इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से इन्क्यूबेटीज को उनके उद्यम करने संबंधी विचार को धरातल पर क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत उत्पाद चयन अथवा सेवाये जो कि इन्क्यूबेटीज के माध्यम से दी जा सकती है, का चिन्हांकन, अपने उत्पादों की मांग एवं खरीददारों की पहचान करना आदि क्रियाकलाप शामिल होंगे।

4.3 **व्यवसाय योजना (Business plan) बनाने में सहयोग–** इन्क्यूबेटर्स द्वारा इन्क्यूबेटीज/लाभार्थी के व्यावसायिक विचार/व्यावसायिक कार्ययोजना के बारे मे समीक्षा एवं उसे अंतिमीकृत करने में सहायता प्रदान की जायेगी जिसमे मुख्यतः निवेश का आंकलन, परिचालन लागत का आंकलन, नकदी प्रवाह (cash flow) संबंधी आंगणन एवं ब्रेक इवन आदि घटक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त इन्क्यूबेटीज को उद्यम स्थापना हेतु यंत्र/मशीन क्रय करने के स्थान, उनकी लागत आदि अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी जाने में मदद की जायेगी ।

4.4 **अनुपालन एवं विधिक पहलू (Compliances and legal Issues)–**इन्क्यूबेटर्स द्वारा इन्क्यूबेटीज को सूक्ष्म उद्यम/स्वरोजगार इकाई स्थापना हेतु पंजीकरण, उत्पादन, विपणन आदि घटको हेतु समस्त विधिक पहलू एवं इस हेतु आवश्यक अनुपालन में मदद की जायेगी।

4.5 **बाजार तक पहुंच एवं लिंकेज (Access to Market and Linkages)–** इन्क्यूबेटर्स द्वारा इन्क्यूबेटीज को बाजार की क्षमता का आंकलन करने, उनके उत्पादों अथवा सेवाओं की मूल्य श्रृंखला (Value Chain) का अध्ययन करने में मदद करेगा जिससे इन्क्यूबेटीज को बाजार में फारवर्ड एवं बैकवार्ड लिंकेज हेतु लाभ प्राप्त करने एवं उत्पाद मूल्य श्रृंखला हेतु प्रतिभाग करने तथा निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

4.6 **वित्तीय सेवाये हेतु पहुंच एवं निवेश (Access to Financial services and Investment) –** इन्क्यूबेटर्स, इन्क्यूबेटीज को उद्यम स्थापना करने हेतु ऐसे विभिन्न केन्द्र पोषित/राज्य पोषित अथवा वाह्य सहायतित योजनाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करायेगा जो योजनाये उद्यम स्थापना हेतु वित्तीय सहायता अथवा संपार्श्विक मुक्त ऋण (collateral free loan) देने में सहायक है। इसके अतिरिक्त इन्क्यूबेटर्स द्वारा विभिन्न प्रकार के निवेशक सम्मेलन भी आयोजित किये जायेंगे ताकि इन्क्यूबेटीज को विभिन्न वैकल्पिक माध्यमो से भी वित्तीय निवेश प्राप्त करने अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिल सके।

4.7 **इन्कूयबेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम–** प्रत्येक इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से 3–5 दिवस का क्लासरूम आधारित सघन प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं तत्संबंधी इन्क्यूवेशन माड्यूल उपलब्ध कराया जायेगा। इन्क्यूबेटीज को अपने ब्यवसाय/ब्यावसायिक विचारों पर इन्क्यूबेटर्स में दिये गये 3–5 दिवसीय प्रशिक्षण/चर्चा उपरांत उपलब्ध कराये गये माड्यूल के अनुसार उद्यम स्थापना हेतु वापस लौटने की अनुमति दी जायेगी। दिये गये माड्यूल/सुझावों के आधार पर उद्यम स्थापना हेतु आधारभूत कार्य करने के उपरांत इन्कूयबेटीज द्वारा जो अनुभव/प्रश्न अथवा कठिनाई उभर कर सामने आयेगी उनके निराकरण पुनः इन्क्यूबेटर्स में विशेषज्ञों के पास वापस आयेंगे उन समस्याओं का समाधान/सुझाव इन्क्यूवेटर्स के विषय विशेषज्ञों अथवा मेंटर्स द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार इन्क्यूवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के तहत दो माड्यूल के बीच की अवधि मे 15 से 30 दिवस का अन्तर होगा।

4.8 प्रशिक्षण सत्र

प्रशिक्षण सत्र चरणबद्ध रूप से निम्नानुसार होगा–

4.8.1 इन्क्यूबेटर्स में आयोजित प्रशिक्षण के माध्यम से विशेषज्ञो तथा इन्क्यूबेटीज के मध्य आमने सामने की चर्चा।

4.8.2 विस्तार केन्द्रो यथाग्रोथ सेन्टरों/विकासखंड अथवा ऐसे स्थान जहां प्रशिक्षण/चर्चा संभव हो, में विशेषज्ञो तथा इन्क्यूबेटीज के मध्य आमने सामने की चर्चा।

4.8.3 ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से आयोजित सत्र के माध्यम से प्रशिक्षण।

4.8.4 स्वशिक्षण सामाग्री तथा You Tube पर उपलब्ध सामाग्री के माध्यम से प्रशिक्षण।

4.8.5 विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण ।

4.9 प्रशिक्षण अवधि–

उद्यमशीलता तथा इन्क्यूबेटीज के मांग/आवश्यकतानुरूप इन्क्यूबेशन केन्द्र के माध्यम से निम्न अवधि का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा जो कि समय अन्तराल के तहत आयोजित किया जायेगा–

1. लम्बी अवधि के इन्क्यूबेशन समूह (कोहार्ट्स) प्रशिक्षण (6–9 माह तक)– लम्बी अवधि के कोहार्टस अन्तर्गत सहकर्मियों को 6–9 महीने की अवधि हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। कोहोर्ट को शामिल करने के बाद, इनक्यूबेटीज को 20–30 दिनों के अंतराल पर 3–5 दिनों के गहन मॉड्यूलर इनपुट उपलब्ध कराया जायेगा। दो मॉड्यूलर इनपुट के बीच की अवधि का उपयोग इनक्यूबेटीज द्वारा सीखे गये कौशल का उपयोग अपने व्यवसायों में लागू करने के लिए किया जाएगा।

2. अल्प अवधि के इन्क्यूबेशन समूह (कोहार्ट्स) प्रशिक्षण (अधिकत 03 माह तक)–शॉर्ट–टर्म कोहोर्ट्स को 3 महीने तक की अवधि के लिए सहयोग प्रदान किया जायेगा। कोहॉर्ट्स को 10–15 दिनों के अंतराल पर 3–5 दिनों के गहन मॉड्यूलर इनपुट प्रदान किया जायेगा। दो मॉड्यूलर इनपुट के बीच की अवधि का उपयोग इनक्यूबेटीज द्वारा सीखे गये कौशल का उपयोग अपने व्यवसायों में लागू करने के लिए किया जाएगा।

3. माड्यूल प्रशिक्षण/बूट कैंप (3–5 दिन तक)–बूट कैंप एक पूर्व–निर्धारित उद्देश्य के साथ दिए गए मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण होंगे और लाभार्थियों को एक विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। बूटकैंप का आयोजन बिजनेस प्लानिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, मार्केट प्लानिंग, सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुच बनाने आदि विषयों पर किया जा सकता है।

4. अल्प समय सहयोग प्रशिक्षण (1–2 दिन तक केवल समरूप समूहो हेतु)– संभावित लाभार्थियों के बीच उद्य मशीलता की मानसिकता विकसित करने के लिए शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण का उपयोग किया जाएगा। ये बड़े पैमाने पर प्रतिभागियों में उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण लक्षणों की पहचान करने, संभावित अवसर का आकलन करने और उद्यमिता यात्रा हेतु कदम उठाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

1. गवर्नेंस तंत्र–

इन्क्यूबेटर्स को राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई ग्राम्य विकास के तहत अनुषंगी शाखा के रूप में पंजीकृत किया जायेगा । जिसे भविष्य में पृथक रूप से अन्य एक्ट में भी आवश्यकतानुरूप पंजीकृत किया जा सकता है।

उक्त योजना का क्रियान्वयन परियोजना समन्वयक एस0पी0एम0यू0 ग्राम्य विकास के अधीन होगा तथा सभी निर्णयों हेतु सचिव ग्राम्य विकास/अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति अधिकृत होंगे।इसी प्रकार जिला स्तर पर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण के साथ–साथ संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के समग्र कार्यान्वयन, निगरानी हेतु उत्तरदायी होंगे। परियोजना प्रबंधन अधिकारी एस0पी0एम0यू0 इस हेतु मुख्य क्रियान्वयन अधिकारी के रूप में परियोजना समन्वयक के निर्देशन में पी0एम0सी0 के सहयोग से योजना क्रियान्वयन हेतु कार्य करेंगे।

इन्क्यूबेटर को परामर्शी सहायता प्रदान करने के लिये राज्य तथा दोनो जनपदो के स्तर पर जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी। रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर की Governance structure निम्नानुसार चित्रित किया गया है–

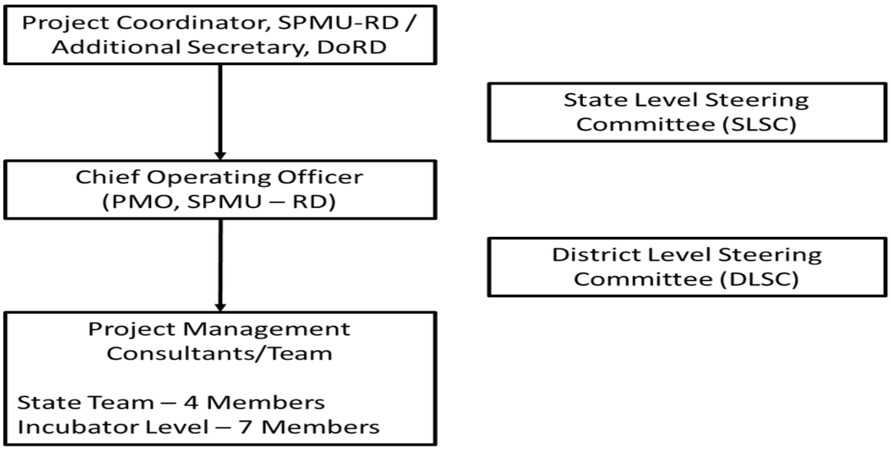

5.1 राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन तथा दायित्व :–

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतुराज्य स्तर पर सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की प्रबंधकरिणी समिति निम्नानुसार गठित की जाती है जो कि त्रैमासिक आधार पर योजना की समीक्षा करेगी तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश प्रदान करेगी–

सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
परियोजना समन्वयक एस0पी0एम0यू0ग्राम्य विकास	सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0आर0एल0एम0	सदस्य
परियोजना निदेशक आई0एल0एस0पी/REAP	सदस्य
प्रबंध निदेशक उपासक	सदस्य
निदेशक, कृषि/उद्यान/डेयरी/पर्यटन	सदस्य
ए0जी0एम0 एस0एल0बी0सी0	सदस्य
सी0जी0एम0 नाबार्ड	सदस्य

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा अन्य विषय विशेषज्ञों को भी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

परियोजना समन्वयक एस0पी0एम0यू0 ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में योजना की राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की कार्यकारिणी समिति गठित की जायेगी जो कि मासिक अथवा यथा आवश्यकता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक करेगी तथा सी0ओ0ओ0–आर0बी0आई0 उक्त कमेटी के संयोजक होंगे। यह समिति मासिक आधार पर योजना का अनुश्रवण करेगी तथा योजना क्रियान्वयन हेतु अपनी संस्तुति भी प्रबंध कारिणी समिति को देगी। कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

I/55545/2022

परियोजना समन्वयक एस0पी0एम0यू0	अध्यक्ष
परियोजना निदेशक आई0एल0एस0पी / REAP	सदस्य
ए0सी0ई0ओ0–एन0आर0एल0एम0,	सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक	सदस्य
मुख्य कियान्वयन अधिकारी.–आर0बी0आई0	सदस्य संयोजक
टीम लीडर पी0एम0सी0 आर0बी0आई0	सदस्य
दो प्रतिनिधि राज्य के अन्य इन्क्यूबेटर से	सदस्य

उक्त के अतिरिक्त अन्य विषय विशेषज्ञों को भी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

5.2 **<u>जिला स्तरीय स्कीनिंग कमेटी का गठन एवं दायित्व –</u>**

एस0एल0एस0सी0 के अतिरिक्त जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय स्कीनिंग कमेटी ; डीएलएससी0द्ध गठित की जायेगी । योजना के प्रारम्भिक चरण में केवल दो इन्क्यूबेटर ही स्थापित किये जा रहे है अतः डी0एल0एस0सी0 केवल दो जनपदों कमशः पौडी तथा अल्मोडा मे ही गठित की जायेगी जहां पर इन्क्यूवेटर स्थापित किये गये है। यदि भविष्य मे इन्क्यूवेटर्स की संख्या में वृद्धि होती है तो तदानुसार अन्य जनपदों में भी डी0एल0एस0सी0 का गठन किया जायेगा ताकि योजना का कियान्वयन सुविधाजनक हो सके। अन्य जनपदों द्वारा संभावित इन्क्यूबेटीज की सूची तैयार कर संबंधित मंडल के इन्क्यूबेटर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अथवा आनलाइन आवेदन के माध्यम से भी सूची उपलब्ध करायी जायेगी। दोनो जनपदों के जिलाधिकारी डी0एल0एस0सी0 की अध्यक्षता करेंगे एवं परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 डी0एल0एस0सी0 के सदस्य संयोजक होंगे। डी0एल0एस0सी0 इन्क्यूवेटर्स के परिचालन संबंधी विषयों के समाधान करेगा तथा इन्क्यूबेशन सहयोग हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कीनिंग करेगा। डी0एल0एस0सी0 के निम्न सदस्य होंगे–

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
परियोजना निदेशक	सदस्य सचिव
महाप्रबंधक उद्योग	सदस्य
आर0बी0आई0 टीम के प्रतिनिधि	सदस्य
मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
जिला पर्यटन अधिकारी	सदस्य
डेयरी /पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
प्रबंधक लीड बैंक	सदस्य
जिला प्रबंधक नाबार्ड	सदस्य

अन्य विषय विशेषज्ञ अध्यक्ष द्वारा बैठक में आमंत्रित किये जा सकते है।

<u>इन्क्यूबेटीज / लाभार्थियों का मोबिलाइजेशन–</u>

सही इन्क्यूबेटीज / लाभार्थियों का चयन करना इस योजना के सफल कियान्वयन का अहम हिस्सा है। क्योकि इन्क्यूबेशन कार्यकम के तहत आच्छादित किये जाने वाले लाभार्थियो / इन्क्यूबेटीज की उपयुक्तता की जांच की जानी नितांत आवश्यक है। संभावित इन्क्यूबेटीज को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है जैसा कि पैरा 3 में उल्लिखित किया गया है।

6.1 **<u>इन्क्यूबेटीज का मोबिलाइजेशन–</u>**

इन्क्यूबेटीज का मोबिलाइजेशन संयुक्त रूप से निम्न गतिविधियों के अनुसार किया जायेगा–

6.1.1 ग्राम्य विकास विभाग तथा अन्य रेखीय विभागों के फील्ड कार्मिकों का इन्क्यूवेटर हेतु इन्क्यूबेटीज अभिमुखीकरण किया जायेगा । जनपद तथा विकासखंड स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत अधिकारियों एवं कन्सल्टेंट के माध्यम से मोबिलाइजेशन एवं फालोअप में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। साथ ही मोबिलाइजेशन में एस0आर0एल0एम0 सी0आर0पी0 का सहयोग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पात्र लाभार्थियों के प्राथमिक चयन हेतु मोबिलाइजेशन एवं फालोअप में एस0आर0एल0एम0 की अहम भूमिका होगी।

6.1.2 उच्च शिक्षण संस्थानों यथा आई0टी0आई0, पालीटेक्निक और इंजीनियरिंग कालेजों में ई0डी0पी0 के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।

6.1.3 जिला अथवा विकास खंड स्तर पर बिजनेस केस प्रतियोगिताये, आइडियाथोन आदि का आयोजन किया जायेगा।

6.1.4 पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 16/08/2022 10:53 AM

I/55545/2022

6.1.5 राज्य में संचालित विभिन्न उद्यमिता विकास योजनाओं के हितग्रहियो को जागरूक किया जायेगा साथ ही इन्क्यूवेशन टीम आरसेटी, जिला उद्योग केन्द्रो द्वारा सहायतित योजनाओं के माध्यम से भी मोबिलाइजेशन का प्रयास करेगी ।

6.1.6 आई0ई0सी कियाकलापों/सोशल मीडिया अभियान के माध्यय से प्रचार प्रसार द्वारा मोबिलाइजेशन में सहयोग।

6.1.7 प्रेरणा श्रोत (Peer Icon) के माध्यम से उत्प्रेरक के रूप में मोबिलाइजेशन।

6.2 <u>आवेदन पत्र आमंत्रण प्रकिया</u>

आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से इन्क्यूबेटर्स द्वारा समय–समय पर आवेदन पत्र आमंत्रण संबंधी विज्ञापन विभिन्न माध्यमों सेजारी किया जायेगा। संभावित उम्मीदवारों से अपनी वर्तमान श्रेणी ; पांच श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी द्ध का चयन करने एवं आवेदन करने का विकल्प रहेगा। आवेदकों को अपना आवेदन पत्र निम्न माध्यमो से जमा करने की व्यवस्था रहेगी–

1. <u>इन्क्यूबेटर हेतु तैयार बेब पोर्टल पर स्वयं आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन–</u> आवेदक द्वारा बेब पोर्टल पर स्वयं आनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
2. <u>पोर्टल पर सहायक के माध्यम से आवेदन पत्र भरना–</u> आवेदक द्वारा इन्क्यूवेटर की टीम अथवा एन0आर0एल0एम0 की टीम के सहयोग से भी आनलाइन आवेदन पत्र भरने की ब्यवस्था रहेगी।
3. <u>हार्ड कापी जमा करना–</u> यदि आवेदक को आनलाइन आवेदन करने में समस्या हो तो आवेदक पोर्टल से आवेदन फार्म डाउनलोड कर हार्ड कापी में आवेदन पत्र भरकर इन्क्यूवेटर केन्द्र में जमा/प्रेषित कर सकता है अथवा सी0आर0पी0 के माध्यम से संबंधित बी0एम0एम0एम0 द्वारा भी जमा कराया जा सकता है अथवा ई–मेल के माध्यम से इन्क्यूबेटर्स में भेज सकता है।

6.3 <u>आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग एवं इन्क्यूबेटीज समूह (कोहार्ट्स) का निर्माण–</u>

इनक्यूबेशन सहयोग हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच परियोजना के तहत गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति एकल चरण स्क्रीनिंग प्रक्रिया अथवा दो चरण स्क्रीनिंग प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्वतंत्र होगी। दो चरणों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया में, शॉर्टलिस्ट किए गए संभावित इनक्यूबेटीज को समिति के सदस्यों के साथ आमने–सामने बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। समिति द्वारा शार्ट लिस्ट की गई सूची को राज्य स्तरीय समिति अंतिमीकृत करेगी। प्राप्त प्रस्तावो के आंकलन हेतु निम्न सांकेतिक (indicative) प्रक्रिया प्रस्तावित है–

मानदंड 1– व्यवसाय की scalability (30 प्रतिशत)

• भविष्य में व्यवसाय के विस्तार और बढ़ने की क्षमता।

• प्रस्तावित व्यवसाय से व्यवसायिक क्षेत्र को नीतिगत सहयोग।

•प्रशिक्षण और क्षमता विकास के संदर्भ में उपलब्ध सहायता।

• सेवा या उत्पाद के लिए बाजार की संभावना।

मानदंड 2– आर्थिक प्रभाव (30 प्रतिशत)

• रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना।

• आय/राजस्व सृजन क्षमता।

मानदंड 3– सामाजिक प्रभाव (20 प्रतिशत)

• गरीबों और अतिगरीबों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना।

• गरीबों और अतिगरीबों के लिये विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं के रूप में भाग लेने के अवसर।

मानदंड 4– व्यापार के भविष्य के बारे में दृष्टिकोण और स्पष्टता (10 प्रतिशत)

• राजस्व लक्ष्य

• लक्षित बाज़ार

मानदंड 5– नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग (5 प्रतिशत)

मानदंड 6– पर्यावरणीय प्रभाव (5 प्रतिशत)

उपरोक्त मानदंड सांकेतिक हैं और निम्नलिखित कारकों के आधार पर क्सैद्धारा मानकों में संशोधन किया जा सकता है–

ए) संभावित इनक्यूबेटीज के प्रकार का आकलन ।

बी) समूह के सेक्टर विशेष अथवा किसी भी सेक्टर से संबंधित इन्क्यूबेशन समूह

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 16/08/2022 10:53 AM

I/55545/2022

नीचे दिया गया उदाहरण समूह को संगठित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रवाह को दर्शाता है। हालांकि, प्रक्रियाओं के मानकीकरण करने से यह उम्मीद की जाती है कि अनुमोदन और अन्य प्रारंभिक गतिविधियों में लगने वाला समय कम लगेगा।

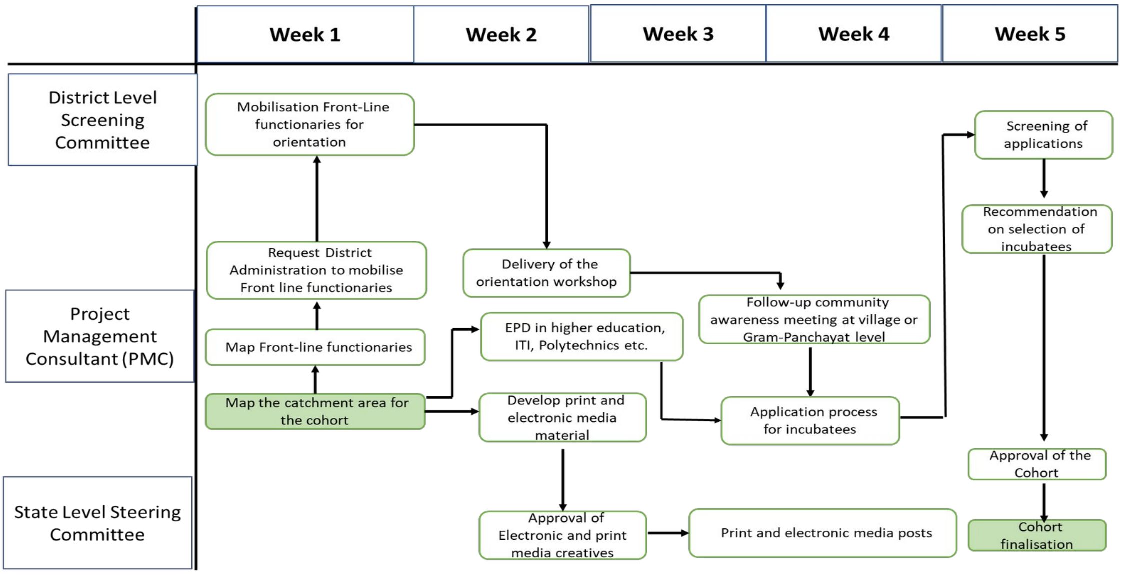

7 <u>परियोजना अनुश्रवण और मूल्यांकन –</u>

परियोजना के परिणामों का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किया जाना नितांत आवश्यक है, जिसमें विशेष रूप से अन्य जिलों में आरबीआई जैसे निर्मित किये गये केन्द्र अथवा Spokes को 02 स्थापित hub के साथ संरेखित करने की संभावना है। परियोजना के तहत एक मजबूत समवर्ती अनुश्रवण तथा मूल्यांकन ढांचा प्रस्तावित है।

7.1 <u>समवर्ती अनुश्रवण (Concurrent Monitoring) -</u>

मुख्य विकास अधिकारी समवर्ती अनुश्रवण कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। नीचे दी गई तालिका में संकेतकों की एक सूची उपलब्ध है, जिसका परियोजना निगरानी में उपयोग किया जायेगा–

विवरण	समवर्ती अनुश्रवण संकेतक
इनपुट	1. इनक्यूबेटर में रिक्त पदों की संख्या 2. उपकरणो के परिचालन का प्रतिशत
मोबिलाइजेशन	1. पूर्ण सामुदायिक बैठकों की संख्या 2. आयोजित ईडीपी/व्यवसाय योजना तैयार करने हेतु प्रतियोगिताओं की संख्या 3. आयोजित उन्मुखीकरण बैठकों की संख्या। 4. प्राप्त आवेदनों की संख्या
क्मसपअमतल संबंधी सहयोग	1. कोहॉर्ट्स प्रारम्भ करने की संख्या 2. बूटकैंप से लाभार्थियों की संख्या
गुणवत्ता सबंधी सहयोग	1. इनक्यूबेटीज की Dropout दर 2. इनक्यूबेटी की उपस्थिति 3. पार्टनरशिप विकास 4. इनक्यूबेट किए गए व्यवसायों की संख्या 5. अनुमानित नए रोजगार सृजित 6. इनक्यूबेटीज की संतुष्टि स्तर 7. सूचीबद्ध Mentors की संख्या 8. वित्तपोषण में सहयोग

उल्लिखित संकेतकों के अनुश्रवण हेतु, एक डैशबोर्ड भी विकसित किया जायेगा। इसके अलावा, संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण भी किया जायेगा तथा प्रगति आंकलन करने के लिए इनक्यूबेटीज के साथ बातचीत भी की जायेगी।

7.2 <u>परियोजना के प्रभाव तथा इनक्यूबेटीज की ट्रैकिंग (Tracking)-</u>

I/55545/2022

ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेशन के प्रभाव को मापने के लिए, परियोजना के तृतीय वर्ष में स्वतंत्र तृतीय–पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। परियोजना के प्रभाव तथा इनक्यूबेटीज की ट्रेकिंग हेतु एक मिश्रित–विधि का उपयोग किया जाएगा, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मूल्यांकन किए जाएंगे। इसके अलावा, इनक्यूबेटर द्वारा विकसित tangible and intangible प्रभाव को भी मूल्यांकन हेतु शामिल किया जायेगा तथा राज्य में इनक्यूबेटर के माध्यम से पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों को भी शामिल किया जायेगा।

नीचे दी गई तालिका में संकेतकों की एक सूची प्रदान की जा रही है, जिससे इनक्यूबेटर द्वारा विकसित प्रभावों को मापा जा सकता है। इस सूची को एस0एल0एस0सी0 द्वारा आगे विस्तृत तथा अनुमोदित किया जाएगा।

विवरण	समवर्ती अनुश्रवण संकेतक
प्रभावी संकेतक	1. लाभान्वित होने वाले व्यवसायों की संख्या 2: व्यवसाय प्रतिशत जिन्होंने अपनी उद्यमशीलता यात्रा के अगले चरण में पहुँच गये है। 3. स्थापित / विचारित व्यवसायों की संख्या 4. उच्च राजस्व रिपोर्ट करने वाले व्यवसायों की संख्या 5. व्यवसायों के राजस्व में की वृद्धि प्रतिशत 6. उच्च लाभ की रिपोर्ट करने वाले व्यवसायों की संख्या 7. इन्क्यूबेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में लाभार्थियों की धारणा 8. लाभार्थियों द्वारा प्राप्त आत्मविश्वास, नवीन कौशल और आदि के संदर्भ में इनक्यूबेटर का सामाजिक प्रभाव।

परियोजना के प्रभाव को मापने हेतु ऐसे उद्यमों के मध्य तुलना की जायेगी, जिन्होंने इनक्यूबेटर के माध्यम से लाभ प्राप्त किया है एवं ऐसे उद्यमों जिन्होंने इनक्यूबेटर के माध्यम से कोई भी लाभ प्राप्त नही किया गया है।

इसके अलावा, इनक्यूबेटर द्वारा इनक्यूबेट किए गए सभी व्यवसायों को कम से कम पांच वर्षों तक ट्रैक किया जाएगा। जिसमें उनके द्वाराराजस्व, आय और नए बाजारों में की गई वृद्धि आदि की जानकारी को सम्मिलित कर दीघ र्कालिक आधार पर अभिलेख तैयार किये जायेगें।

8. योजना के अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त (Guiding Principle):–

8.1 जनपद / विकासखंड स्तर पर योजना का कार्यान्वयन मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।

8.2 समय समय पर योजना की प्रगति समीक्षा सचिव ग्राम्य विकास तथा अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास द्वारा की जायेगी ।

8.3 जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी उक्त योजना के नोडल अधिकारी होंगे। जिनके पर्यवेक्षण में जनपद तथा विकासखंड स्तर पर योजना के कियान्वयन में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

8.4 इस योजना के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु विभिन्न रेखीय विभागों के योजनाओं / केन्द्रपोषित / बाह्य सहायतित / राज्य पोषित तथा अन्य योजनाओं के साथ भी केन्द्राभिसरण / युगपतिकरण किया जायेगा। साथ भी इस योजना के तहत आच्छादित किये जा रहे इन्क्यूबेटीज को उनके कारोबार को बढावा देने हेतु राज्य के अन्य इन्क्यूबेटर्स के कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ा जायेगा।

8.5 योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित कन्सलटेन्सी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं / कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया जायेगा तथा उक्त के आधार पर ही संबंधित कन्सलटेन्सी को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

8.6 योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित कन्सलटेन्सी द्वार प्रदान की जा रही सेवाओं / कार्यों के प्रदर्शन के आधार पर (Performance) को जाँचने के लिये संकेतक / लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे तथा उक्त संकेतकों / लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8.7 योजनान्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं / कार्यों के प्रदर्शन हेतु निर्धारित संकेतकों / लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में रिपोर्ट संतोषजनक होने के उपरान्त ही संबंधित कन्सलटेन्सी को भुगतान किया जायेगा।

8.8 योजनान्तर्गत निवेश के सापेक्ष अधिकतम लाभ अर्थात लागत के सापेक्ष अधिकतम लाभ (Caste Benefit Ratio) प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जायेगा तथा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान किये जाने के उत्तरोत्तर प्रयास किये जायेंगे।

8.9 योजना का विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया पृथक से भी जारी की जायेगी।

9. दिशा निर्देशों का लागू किया जाना–

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 16/08/2022 10:53 AM

I/55545/2022

9

9.1 यह दिशा निर्देश तत्काल लागू होगे तथा भविष्य मे दिशा निर्देशों तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया मे यदि अवक्रमण/प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो तो दिशा निर्देशों मे अवक्रमण/प्रतिस्थापन का अधिकार राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का होगा तथा कमेटी के अनुमोदनोपरांत ही दिशा निर्देशों तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया में यथा आवश्यक संशोधन किया जायेगा तथा समय समय पर योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु पृथक से भी आदेश निर्गत किये जा सकेंगे।

10 आर0बी0आई0 के अन्तर्गत निर्मित भवनों के रखरखाव की व्यवस्था –

रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर योजनान्तर्गत जनपदों में निर्मित भवनों के रखरखाव, प्रतिदिन भवनों के संचालन तथा स्थापित सेन्टरों पर लिपिक सम्बन्धी कार्यो के संपादनहेतु जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी ।

11. कियान्वयन हेतु वित्तीय प्रवाह–

स्वीकृत 02 रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के क्रियान्वयन तथा संचालन हेतु प्रावधानित धनराशि को उत्तराखंड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कंपनी (UPASAC) से एस0पी0एम0यू, ग्राम्य विकास के खाते में हस्तांतरित करेगा। परियोजना समन्वयक – एस0पी0एम0यू, ग्राम्य विकास/अपर सचिव, ग्राम्य विकास उक्त हेतु निधियों के आवंटन हेतु अधिकृत होगे।

रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटरों के संचालन हेतु एस0पी0एम0यू, ग्राम्य विकास से जनपद को बजट का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रक्रिया की जायेगी–

1. जिस जनपद में इन्क्यूबेटर स्थापित है, उस जनपद के मुख्य विकास अधिकारी (सी0डी0ओ0) रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर हेतु नोडल अधिकारी होंगे तथा आर0बी0आई0 के लिए एक समर्पित बैंक खाता खोला जाएगा जिसमें सी0डी0ओ0 तथा परियोजना निदेशक – डी0आर0डी0ए0 सह–हस्ताक्षरकर्ता होंगे।

2. सम्बन्धित जनपद के सी0डी0ओ0 जिसमें इनक्यूबेटर स्थापित किये जा रहे हैं, उनके द्वारा एस0पी0एम0यू, ग्राम्य विकास को वार्षिक बजट का मांग प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा, जिसके उपरान्त एस0पी0एम0यू, ग्राम्य विकास द्वारा धनराशि को जनपद स्तर पर हस्तांतरित किया जायेगा।

3. कार्यो के त्वरित संपादन हेतु तथा दिन–प्रतिदिन के कार्यो के क्रियान्वयन हेतु जनपद द्वारा धनराशि संबंधित विकासखंड जिसमें इन्क्यूबेटर स्थापित है, को अवमुक्त करेगा तथा उक्त धनराशि का नियमन, बजट अवमुक्त करने तथा क्रियान्वयन हेतु पी0एम0सी0 से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत जारी करने हेतु संबंधित विकासखंड के खंड विकास अधिकारी ही अधिकृत होंगे। ऐसे घटक जो जनपद स्तर से किये जाने आवश्यक हों, पर धनराशि ब्यय करने की ब्यवस्था होगी। राज्य द्वारा ऐसे कार्य जो कि राज्य स्तर से योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो, परियोजना समन्वयक ऐसे समस्त कार्यो के क्रियान्वयन के लिये वित्तीय नियमन हेतु अधिकृत होगे।

एस0पी0एम0यू0– ग्राम्य विकास तथा जनपद/विकासखंड द्वारा की जाने वाली समर्थित गतिविधियां

योजनान्तर्गत एस0पी0एम0यू, ग्राम्य विकास तथा जनपद स्तर पर की जाने वाली वित्तीय गतिविधियों का निदर्शी विवरण (illustrative particulars) निम्न तालिका में अकिंत है।

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 16/08/2022 10:53 AM

I/55545/2022

एस0पी0एम0यू, ग्राम्य विकास द्वारा की जाने वाली वित्तीय गतिविधिया	विकासखंड/जनपद स्तर परकी जाने वाली वित्तीय गतिविधिया
क ा य आई0ई0सी0 सूचना, शिक्षा तथा संचार प्रसार गतिविधियाँ 1. मास मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट आदि) 2. आई0ई0सी0 सामग्री की छपाई (बैनर/ब्रोशर आदि) 3. प्रशिक्षण सामग्री तथा पुस्तिकाएं 4. इत्यादि	श ा ा ल ा आवर्ती लागत ;विकासखंड स्तर पर इन्क्यूबेटरों के संचालन तथा रखरखाव हेतु आवर्ती व्यय 1. बिजली बिल 2. जल उपयोग बिल 3. भवन की मरम्मत 4. सुरक्षाकर्मी की तैनाती 5. को–वर्किंग परिक्षेत्र में स्थापित उपकरणों का रखरखाव तथा मरम्मत । 6. इनक्यूबेटीज का विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण ब्यय। 7. इत्यादि
कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं 1. राज्य स्तरीय कार्यशालाओं, सम्मेलनों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना। 2. इनक्यूबेटियों का तकनीकी एवं क्षेत्र–विशिष्ट प्रशिक्षण। 3. इत्यादि	कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं–जनपद स्तर /विकास खंड स्तर पर 1.जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण 2. मोबलाइजेसन हेतु कार्यक्रम 3. आइडियाथॉन/हैकाथॉन आदि। 4. समीक्षा बैठक। 5. जिला स्तर पर अन्य कार्यशालाएं तथा कार्यक्रम। 6. इत्यादि
प्रोफेशनल सेवाओं की नियुक्ति 1. परियोजना प्रबंधन तथा सेक्टर इनपुट प्रदान करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति 2. तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति 3. अध्ययन आख्या आदि। 4. इत्यादि	परिसम्पतियो का क्रय– जनपद स्तर पर यह मौजूदा परिसंपत्तियों को बदलने अथवा नई सुविधाओं को स्थापित करने अथवा जरूरत पड़ने पर परिसंपत्तियों के खरीदी की अनुमति। इसमें शामिल हो सकते हैं: 1. कंप्यूटर, प्रिंटर, वाटर प्यूरीफायर, प्रोजेक्टर आदि। 2. फर्नीचर और वर्कस्टेशन 3. इत्यादि
आकस्मिक ब्यय राज्य स्तरीय संचालन समिति अथवा परियोजना समन्वयक – एस0पी0एम0यू, ग्राम्य विकास द्वारा निर्देशित कोई अन्य गतिविधि जो कि केवल इन्क्यूबेटर से संबंधित हो।	आकस्मिक ब्यय जिला स्तरीय संचालन समिति अथवा जिलाधिकरी द्वारा निर्देशित कोई अन्य गतिविधि जो कि केवल इन्क्यूबेटर से संबंधित हो।

विभागीय येाजनाओं यथा एन0आर0एल0एम0/विभागीय कौशल विकास कार्यक्रमो के साथ कन्वर्जेंस से किया जायेगा। जहां पर भी इन योजनाओं हेतु जागरूकता/कार्यशाला /मोबिलाइजेशन के कार्य होंगे आर0बी0आई0 के कार्य भी उक्त कार्यक्रमों के उपघटक के रूप में रहेगा । नितांत आवश्यकता पड़ने पर ही पृथक से विभिन्न स्तरों पर कार्यशाला/मोबिलाइजेशन/जागरूकता कार्यक्रम आदि कार्य आर0बी0आई0 से किये जायेंगे।

एस0पी0एम0यू0 द्वारा जनपदों को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 60 प्रतिशत ब्यय होने के फलस्वरूप घ ाटकवार ब्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी। सेवाओं, संपत्तियों तथा सिविल कार्यों की सेवाये एवं क्रय उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 16/08/2022 10:53 AM

I/55545/2022

लेखापरीक्षा अनुपालनः

रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर प्रोग्राम के तहत होने वाले ब्यय का वार्षिक आधार पर statutory audit किया जायेगा।

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 16/08/2022 10:53 AM